न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

राजस्व प्रकरण संख्या 2017 / 00047

1. कसन पिता पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं. ह.टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जि. बांसवाडा (राज.)
2. कालु पिता पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं. ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जि. बांसवाडा (राज.)
3. किर्तन, दिनेश, मन्जुल पिता पारसिंग ना.बा.स.प. माता मिठा बेवा पाससिंग पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जि. बांसवाडा (राज.)
4. मिठा बेवा पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जि. बांसवाडा (राज.)

.......................वादीगण

बनाम

1. थावरा पिता पिता वागजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं. ह. टाण्डी तह. सज्जनगढ जि. बांसवाडा (राज.)
2. पिथा पिता वागजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जि. बांसवाडा (राज.)
3. धुला उर्फ भूला पिता वागजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जि. बांसवाडा (राज.)
4. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

अन्तर्गत धाराः– 88,53,209 राज. टिनेन्सी एक्ट एवं सह पठित धारा 125,136 राजस्थान भू राजस्व

.....................प्रतिवादी गण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज. टिनेन्सी एक्ट एवं सह पठित धारा 125,136 राजस्थान भू राजस्व

1. विद्वान अभिभाषक वादी– श्री हवसिंह कटारा

निर्णय दिनांकः–30 / 01 / 2018

वादीगण का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर सादर निवेदन हैः–

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सौतेले भाई होकर स्वर्गीय वागजी के पुत्र है तथा ग्राम टाण्डी बडी प.म. टाण्डी की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी गण के नाम खाता न. 17 नई, 124 पुरानी जमाबन्दी 2069 से 2072 खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है इनका विवरण निम्नानुसार है

खसरा न.	रकबा	लगान
160	2.22	3.44
322	1.05	5.88
1147	0.97	1.50
1148	0.60	0.60
1149	0.16	—
1150	0.33	0.51
1196/1124	0.20	0.31
योग –7	5.53	12.25

2. यह कि वक्त सेटलमेन्ट सम्वत् 2015 में वागजी पिता भील के नाम खाता खसरा न. 7 कुल किता 7 रकबा 5.53 एकड दर्ज है स्व. वागजी ने जनजाति रिति रिवाज व रूडी के अनुसार दो शादिया की थी जिसमें पहली पत्नी राजु व दूसरी पत्नी गवरा थी स्व. वागजी ने आदिवासी जनजाति के स्थानीय रिवाज अनुसार अपनी दो पत्नीयो के दो हिस्से बराबर कर मौके पर अलग अलग बंटवारा कर दिया था तथा दिनांक 28.5.1981 को एक बंटवारा हेतु इकरारनामा भी तहरीर कर दिया था, जिसमें दोनो पत्नियों को 1/2, 1/2 हिस्सा देने का पंचों के समक्ष लिखावट की गई है उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है
3. यह है के वादिगण एवं प्रतिवादिगण के पिता /दादाजी की वंशावली निम्न प्रकार है

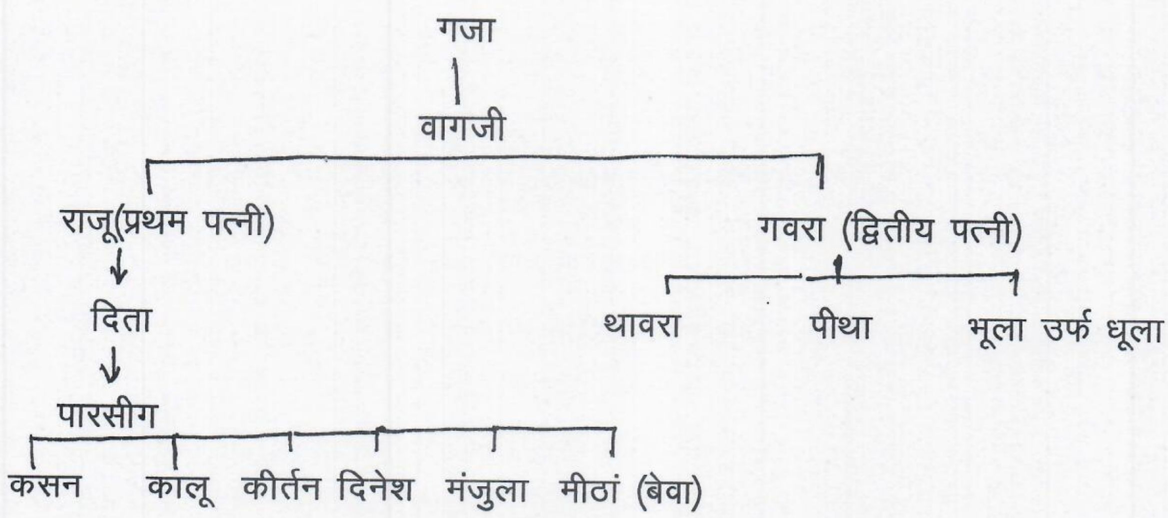

4. यह कि स्व. वागजी के देहान्त होने पर नामान्तरकरण संख्या–276 दिनांक 22.1.85 खोला गया जिसमें दिता , थावरा पिथा, धुला पिता वागजी हिस्सा बराबर दर्ज किया गया तथा दिता के फोत होने पर पारसिंग व पारसिंग के फोत होने पर कसन , कालू, कीर्तन, दिनेश, मंजुला पिता पारसिंग व मिठा बेवा पारसिंग, कीर्तन, दिनेश, मंजुला ना.बा. की वलिया माता मिठा 1/4 एवं थावरा पिथा, धुला पिता वागजी 3/4 दर्ज किया गया जो कि कसन, कालु, कीर्तन , दिनेश, मंजुला पिता पारसिंग व मीठा बेवा पारसिंग, कीर्तन, दिनेश, मंजुला ना.बा. की वलिया माता मीठा 1/2

व थावरा पिथा, धुला पिता वागजी 1/2 दर्ज होना था अतः राजस्थान भू–राज. अधि. की धारा 125,136 के तहत शुद्धि के आदेश दिये जाना आवश्यक है।

5. यह कि वर्तमान समय में राजू के प्रपोत्र एवं स्व. गवरा के पुत्र मौके पर 1/2–1/2 हिस्सो पर काबिज होकर काश्त करते है उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में बंटवारा किया जाना आवश्यक है
6. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 3 ने जमाबन्दी के अन्दर धुला दर्ज किया गया है जबकि वासविक नाम भूला है जो शुद्धि किया जाना आवश्यक है ।
7. यह कि स्व. वागजी पिता गजा द्वारा तहरीर इकरारनामा या वसियत में गांव के पंचान के हस्ताक्षर / अगूठा किये हुवे है उस में से 1 मानसिंग पिता कालिया भूरिया, 2 कडवा पिता विरजी भूरिया 3 जलिया पिता कालिया डामोर 4 गजहिंग पिता होमजी डामोर जीवित होकर मोजुद है उन्हे गवाह में प्रस्तुत किया जा सकता है।

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं बयानात का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। बावजूद तामील प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गयी। वादीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में परिवार राशनकार्ड सं. 00560 की छाया प्रति , आधार कार्ड नम्बर 829584820851 की छाया प्रति, परिवार राशर कार्ड सं.009970800482 की छाया प्रति, आधार कार्ड संख्या 881260674736 की छाया प्रति, राशन कार्ड नम्बर 00485 की छाया प्रति, आधार कार्ड नम्बर 365275196017 की छाया प्रति, प्रदर्श 03 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–2 चौसाला जमाबन्दी ग्राम टाण्डी बडी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श–1 ईकरारनामा दिनांक 28/05/1981, नामान्तरण संख्या 276 प्रदर्श–04, प्रदर्श–5 नामान्तरण संख्या 644, प्रदर्श 5 नामान्तरण संख्या 526, शपथ–पत्र कडवा–DW 6,शपथ पत्र कालु Dw 4, शपथ पत्र कसन DW 5 , शपथ पत्र मानसिंग DW 7 एवं शपथ पत्र श्रीमति मिठा प्रस्तुत किये गये।

वाद पत्र अनुसार गजा का पुत्र वागजी हुआ। वागजी ने दो शादी की। राजू प्रथम पत्नी से दिता का जन्म हुआ तथा दिता के पारसींग हुआ। कसन, कालू, कीर्तन, दिनेश, मंजूला एवं मीठा बेवा पारसिंग के वारिसान है। वागजी की दूसरी पत्नी गंवरा से थावरा, पीथा एवं भूला उर्फ धुला वारिसान है। प्रदर्श–4 नामान्तरकरण संख्या 276 निर्णय दिनांक 22/01/1985 के अनुसार वागजी पि. गज्या भील सा. देह के फौत होने पर विरासत दर्ज की गयी। विरासत नामान्तरकरण के अनुसार ग्राम टाण्डी बडी किता 6 रकबा 5=33 वारिसान दिता, थावरा, पीथा, धुला पि. वागजी भील सा. देह दर्ज की गयी। प्रदर्श–6 नामान्तरकरण संख्या 526 दिनांक 27/08/2004 से दिता के फौत होने पर पारसिंग के नाम विरासत दर्ज की गई। प्रदर्श–5 नामान्तरण संख्या 644 दिनांक 21/10/2010 से पारसिंग की फौत होने से कसन, कालू, कीर्तन, दिनेश, मन्जुला, व बेवा मिठी के नाम विरासत दर्ज की गयी। प्रदर्श 2 चौसाला जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार ग्राम टाण्डीबडी के खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 160,322,1147,1148,1149,1150 एवं 1196/1124 कसन कालु किर्तन दिनेश मन्जुला पिता पारसिंग किर्तन दिनेश मन्जुला ना.

बा. स. प. माता मिठा बेवा पारसिंग 1/4 थावरा पिथा धुला पिता वागजी 3/4 भील सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–1 ईकरारनामा पत्र दिनांक 28/05/1981 के द्वारा वागजी द्वारा साक्षी गवाह, रूपा व राजू के उपस्थिति में अपनी समस्त चल अचल तथा जमीन का दो हिस्सो में बँटवारा किया गया। एक हिस्सा पत्नी राजू के नाम किया गया तथा दूसरा हिस्सा पत्नी गवरी के नाम किया गया। गवाह कालू pw 4 कसन pw 5, कडवा pw 6 एवं गवाह मानसिंग pw 7 के द्वारा जाहिर किया गया की मौके पर भी पत्नी राजु एवं पत्नि गवरा के वारिसान आधी आधी आराजी पर काश्त करते है तथा मौके पर कमाते व खेती करते है

अतः प्रदर्श–1 के बटवारा अनुसार ग्राम टाण्डी बडी के खसरा नं. 160,322,1147,1148,1149,1150 व 1196/1124 रकबा 5.53 का बटवारा किया जावे तथा आधे हिस्से पर पारसिंग के वारिसान कसन, कालू, कीर्तन, दिनेश, मंजुला, एवं मीठाबेवा की खातेदारी दर्ज की जावे तथा थावरा, पीथा, एवं भूला उर्फ धुला के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जावे।

हमने प्रस्तुत रिर्काड एवं बयान गवाहान का परीक्षण किया। प्रदर्श–4 नामान्तरकरण संख्या 276 के अनुसार वाद पत्र में अंकित आराजी वागजी पिता गज्या के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी गण ने उपस्थित होकर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रश्नगत आराजी पैतृक है तथा वागजी को उसके पिता गज्या से प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वागजी अपनी आराजी को ईच्छानुसार बँटवारे के लिए स्वतंत्र है। वागजी द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी दोनो पत्नियों की साक्ष्य में प्रदर्श–1 के माध्यम से दिनांक 28/05/1981 को ही दोनो पत्नियो को आधा आधा हिस्सा दिया जाकर बँटवारा कर दिया गया था जबकि प्रदर्श–4 नामान्तरकरण सं. 276 दिनांक 22/01/1985 को फैसल किया गया था। गवाहो के बयानात अनुसार भी दिनांक 28/05/1981 से ही बँटवारा अनुसार ही दोनो पत्नियो के वारिस मौके पर काबिज है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर गवाहो के बयानात का खण्डन नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर ग्राम टाण्डी बडी के खसरा नं. 160 रकबा 2.22, खसरा नं. 322 रकबा 1.05, खसरा नं. 1147 रकबा 0.97 खसरा नं. 1148 रकबा 0.60 खसरा नं. 1149 रकबा 0.16 खसरा नं. 1150 रकबा 0.33 एवं खसरा नं. 1196/1124 रकबा 0.20 किता 7 कुल रकबा 5.53 पर कसन, कालू, कीर्तन, दिनेश, मंजुला एवं मीठा बेवा को 1/2 हिस्से का खातेदार एवं थावरा, पीथा एवं भुला उर्फ धुला पिता वागजी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार डिक्री जारी हो।

उक्त खातेदारी अनुसार ही मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तकाशमा किया जाकर प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। नायब तहसीलदार सज्जनगढ को दो सो रूपये कमिश्नर केश पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तकासमा पेश होने पर पत्रावली 30/6/2018 को पेश हो

3/1/18

(नवल किशोर गुप्ता)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा (राज.)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

ओ020रूल 6–7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी
इजलास : नवल किशोर गुप्ता

मुकाम – सज्जनगढ
आर0ए0एस0

1. कसन पिता पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कालु पिता पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
3. किर्तन, दिनेश, मन्जुला पिता पारसिंग ना.बा.स.प. माता मिठा बेवा पाससिंग पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
4. मिठा बेवा पारसिंग जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. थावरा पिता वागजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
2. पिथा पिता वागजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
3. धुला उर्फ भूला पिता वागजी जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी टाण्डी बडी पं.ह. टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 53, 209 रा0का0अ0,एवं सपठित धारा 125,136 राजस्थान भू राजस्व
प्रकरण सं0 14/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है/डिक्री जारी की जाती है कि–

ग्राम टाण्डी बडी तह. सज्जनगढ के खाता संख्या 17 के सर्वे नं. क्रमश 160,322,1147,1148,1149,1150 व 1196/1124 कुल किता 7 रकबा क्रमश 2.22,1.05,0.97,0.60,0.16, 0.33 व 0.20 एकड कुल रकबा 5.53 एकड भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के बीच 1/2 व 1/2 हिस्सा का विभाजन प्रस्ताव बाई मीडस एण्ड बाउडंस मौका कबजा एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18–21 अनुसार विभाजन किय जाने हेतु तहसीलदार सज्जनगढ को 200 /– रूप्ये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्ता बंटवारा एवं नक्शा ट्रेस तीन तीन प्रतियो में तैयार कर पेश करे । खर्चा पक्ष कारान अपना अपना वहन करें।

मिज ......मुलालिग ....बात ....खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह ...... फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक..... बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 30.01.2018 को जारी की गई।

(नवल किशोर गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायलाल	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सवूत			महनताना		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक मिजान मुतफख्यिख		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।